

**न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)**  
**(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)**  
**दांडिक अपील क.-14/16**  
**प्रस्तुति/संस्थित दिनांक-16.12.15**

1. कल्लू पुत्र प्रीतम बघेल आयु 31 वर्ष निवासी  
 ग्राम सिरसौदा थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....**अपीलार्थी/अभियुक्त**

**बनाम**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र  
 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....**प्रत्यर्थी**

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।  
 अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता।

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 06.02.18 को घोषित)

1. यह अपील धारा-374 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (श्री केशव सिंह) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 366/12, उनवान पुलिस आरक्षी केन्द्र गोहद बनाम कल्लू में घोषित निर्णय दि0-17.11.15 में अपीलार्थी/अभियुक्त की गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को भा.दं. सं. की धारा-324 के तहत छः माह के कठिन कारावास एवं 300/-रुपए के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का कठिन कारावास भुगताए जाने के दण्ड से दण्डित किया है।
2. अभियोजन के अनुसार दिनांक 19.03.2012 को सुबह 09:00 बजे के लगभग फरियादी दीपक जाटव एवं बाईसराव एवं बाल किशन लकड़ी बीनने के लिए सिरसौदा में गए थे, जहां पर एक खेत में सरसों टूट तीनों लोग काटने लगे तो खेत वाला कल्लू बघेल अर्थात अभियुक्त कुल्हाड़ी लेकर आया और बोला कि यह खेत उसका है, इसमें से लकड़ी क्यों काट रहे हो तो दीपक जाटव ने कहा कि लकड़ी उन लोगों ने काट ली है, उन्हें तुम रख लो। फिर वे लोग लकड़ी खेत में छोड़कर अपने अपने घर चलने लगे तभी कल्लू ने पीछे से दीपक जाटव के कुल्हाड़ी मारी जो पीठ में लगी, खून निकलने लगा, दीपक जाटव ने घूम कर देखा तो कल्लू ने दूसरी कुल्हाड़ी फिर मारी जो दीपक के बाएं हाथ के अंगूठे व उंगली में लगी, घाव होकर खून निकलने लगा। दीपक को बाईस राव तथा

बालकिशन ने बचाया और घटना देखी। उक्त घटना की रिपोर्ट दीपक द्वारा थाना गोहद में प्र0पी0-01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में की गई। अभियुक्त कल्लू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 56/12 अंतर्गत धारा-324, 323, एवं 506 भा0दं0सं0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दीपक को मेडीकल परीक्षण हेतु भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0-06 है।

3. दौरान अनुसंधान दिनांक 20.03.2012 को फरियादी दीपक जाटव की निशांदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-02 बनाया गया। उसी दिनांक को फरियादी दीपक जाटव का प्र0डी0-01 का कथन लिया गया। दिनांक 07.04.2012 को साक्षी बालकिशन एवं बाईस राव के कथन लिए गए। दिनांक 28.04.2012 को अभियुक्त कल्लू को प्र0पी0-05 के गिरफ्तारी पंचनामे के अनुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कल्लू के आधिपत्य से एक लोहे की कुल्हाड़ी जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-04 बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पाए जाने पर अभियोगपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण पर भा0दं0सं0 की धारा-324 एवं 506 भाग-02 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त कल्लू ने अपराध करना अस्वीकार किया। जिसके कारण मामले का विचारण किया गया तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त कल्लू को 506 भाग-02 भा0दं0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया। परंतु अभियुक्त कल्लू को धारा-324 भा0दं0सं0 के तहत दोषसिद्ध करते हुए प्रश्नगत दण्डादेश से दण्डित किया गया। अपीलार्थी कल्लू के द्वारा उक्त दोषसिद्धि के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलार्थी की ओर से अपील में एवं अंतिम तर्क में यह आधार लिए गए हैं कि अभियोजन साक्षियों के कथनों में परस्पर अत्यधिक विरोधाभास होने से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साक्षियों के कथनों पर विश्वास करते हुए कानूनी भूल की है। दीपक अ0सा0-01 एवं अन्य साक्षियों के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कथन में बताया गया घटना का समय तथा न्यायालय में बताया गया घटना का समय अलग अलग है। दीपक अ0सा0-01 ने दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी लगना बताया है, जबकि डॉ0 धीरज गुप्ता ने बाएं हाथ के अंगूठे व बाएं हाथ की उंगलियों में एक कटा हुआ घाव होना बताया है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं हो रही है। बाल किशन अ0सा0-02 एवं बाईस राव अ0सा0-03 चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं, उन्होंने घटना नहीं देखी हैं। अभियुक्त की पहचान भी निश्चित नहीं हुई है। इस प्रकार अभियोजन की घटना संदेहास्पद होने के बावजूद भी उसे संदेह से परे मानने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य का उचित रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला है। विचारण न्यायालय के द्वारा दण्डित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 17.11.15 विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्ती योग्य है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार करते हुए

दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 09.11.16 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रश्नगत निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने पर बल दिया है तथा विचारण/अधीनस्थ न्यायालय की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत रखने का निवेदन किया है।

7. अपील में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया। जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है:-

क्या प्रश्नगत दोषसिद्धि व दण्डादेश इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने योग्य है?

### **—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

8. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा-09 लगायत 15, में यह मान्य किया है कि दीपक जाटव अ0सा0-01 के कथनों से घटित अपराध व प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन होता है यद्यपि बालकिशन अ0सा0-02 के संबंध में यह मान्य किया है कि उसने अभियुक्त को कुल्हाड़ी मारते नहीं देखा परंतु उसके कथनों से इस तथ्य की समर्थन होता है कि अभियुक्त कल्लू व दीपक के मध्य सरसों के कटे हुए टूटों को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था। बाईस राव अ0सा0-03 के संबंध में भी यह मान्य किया है कि दीपक को जब कुल्हाड़ी लगी तब बाईस राव मौके पर नहीं था। परंतु इस तथ्य के अतिरिक्त इस साक्षी के शेष कथनों में किसी प्रकार की गंभीर सारगर्भित भिन्नता नहीं पाई गई है। डॉ० धीरज गुप्ता की साक्ष्य से घटना दिनांक को दीपक की बाएं हाथ के अंगूठे उंगली तथा पीठ में दाईं तरफ चोट पाया जाना प्रमाणित है। अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित हुई है। उक्त आधारों पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियुक्त कल्लू के विरुद्ध धारा-324 के तहत दोषसिद्धि होने का निष्कर्ष दिया है।

9. इस दृष्टि से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई साक्ष्य पर विचार किया गया। दीपक जाटव अ0सा0-01 ने यह बताया है कि अभियुक्त कल्लू ने उसे पीछे से कुल्हाड़ी मारी जो पीठ में लगी, फिर उसने दोबारा कुल्हाड़ी मारी तो कुल्हाड़ी उसने पकड़ ली जो दाहिने हाथ में लगी। जिससे अंगूठे व उंगलियों में चोट आई थी। बाल किशन व बाईस राव ने आकर बीच बचाव किया था। उसने यह भी बताया है कि घटना की रिपोर्ट लिखाई थी जो प्र0पी0-01 है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौक प्र0पी0-02 बनाया था।

10. बालकिशन अ0सा0-02 ने यह बताया है कि दीपक जाटव और कल्लू में आपस में झगड़ा हो गया था और वह दूसरे खेत में सरसों के टूट काटने चला गया था, फिर दोबारा झगड़ा हुआ तो दीपक ने उसे आवाज दी तो अभियुक्त कल्लू मौके से भाग गया और

वह मौके पर पहुँचा, अभियुक्त कल्लू ने दीपक की पीठ में कुल्हाड़ी मारी थी, दीपक की पीठ में खून देखा था और कल्लू के हाथ में कुल्हाड़ी देखी थी, लेकिन उसके सामने कुल्हाड़ी नहीं मारी। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किया गया। प्र0पी0-03 का कथन इस साक्षी के द्वारा पुलिस को नहीं देना बताया गया है। प्रतिपरीक्षण में यद्यपि हाजिर अदालत अभियुक्त कल्लू को देखकर यह बताया है कि उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ। यद्यपि इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। परंतु उसने कल्लू का दीपक से झगड़ा होना, दीपक के चोटें आना और कल्लू के हाथ में कुल्हाड़ी होना बताया है। कल्लू के हाथ में कुल्हाड़ी न होने और दीपक के शरीर पर चोटें न होने के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कोई सुझाव नहीं दिए हैं। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-6 व 7 के अनुसार दीपक को चोट आना का कल्लू के हाथ में कुल्हाड़ी होना सुसंगत तथ्य है तथा चोटें आना उक्त झगड़े का परिणाम है। अभियुक्त का भाग जाना भी पश्चात के आचारण को दर्शित करता है। इस साक्षी की साक्ष्य से दीपक अ0सा0-01 की साक्ष्य की पुष्टि हो जाती है। इस प्रकार विचारण न्यायालय के द्वारा यह मान्य किए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है कि बालकिशन अ0सा0-02 के कथनों से इस तथ्य का समर्थन होता है कि अभियुक्त कल्लू व दीपक के मध्य सरसों को कटे हुए टूठों को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था।

**11.** बाईस राव अ0सा0-03 ने यह बताया है कि जब वह दो खेत दूर दूसरे खेत में टूठ काटने के लिए चला गया तो अभियुक्त कल्लू ने दीपक को कुल्हाड़ी पीठ में मारी और जब तक वह मौके पर आया तब तक अभियुक्त भाग गया था। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अपने सामने घटना नहीं देखी है परंतु झगड़े का बीच बचाव करना बताया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय के द्वारा यह मान्य किए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है कि बाईस राव अ0सा0-03 के कथनों में कोई गंभीर सारगर्भित भिन्नता नहीं पाई गई है।

**12.** डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा0-05 ने बाएं हाथ के अंगूठे के बेस पर कटा, फटा घाव, बाएं हाथ की पहली उंगली के मध्य में कटा, फटा घाव तथा पीठ में दाईं तरफ दाईं स्कैपुला के नीचे होना पाया है। उक्त परीक्षण 19.03.12 के 11:00 बजे किया है अर्थात घटना के दो घंटे बाद ही किया है। प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इन्कार किया है कि उक्त पीठ वाली चोट अर्थात चोट क्रमांक 03 नुकीली कांतर पर गिरने से आना संभव है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 में बाएं हाथ के अंगूठे व उंगली में कुल्हाड़ी की चोट आना बताया गया है। डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा0-05 ने भी बाएं हाथ के अंगूठे व उंगली पर चोट पाई है। दीपक जाटव अ0सा0-01 ने दाहिने हाथ के अंगूठे व उंगलियों में चोट आना बताया है। घटना 19.03.2012 की है तथा साक्षी की साक्ष्य 24.03.15 को हुई है। इन तीन वर्षों की अवधि में इतनी भिन्नता आ जाना स्वाभाविक है। परंतु वहीं मुख्य चोट अर्थात पीठ की चोट के संबंध में कोई भिन्नता नहीं आई है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होने का निष्कर्ष देकर विचारण न्यायालय के द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है।



- 13.** मूलचन्द्र अ0सा0-04 औपचारिक साक्षी है, जिन्होंने प्रकरण की विवेचना की है। नक्शा मौका प्र0पी0-02 बनाया जाना, फरियादी दीपक जाटव एवं साक्षीगण बालकिशन व बाईसराव के कथन लेना कल्लू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-05 बनाया जाना तथा कल्लू से कुल्हाड़ी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-04 बनाया जाना बताया है। उनकी साक्ष्य से दीपक जाटव अ0सा0-01 की साक्ष्य तथा उपरोक्त कार्यवाही की पूर्णतः पुष्टि हो रही है। जहां तक कि अभियुक्त की पहचान का संबंध है। दीपक जाटव अ0सा0-01 ने पैरा-06 में यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके पिता और मोहल्ले के लोग सिरसौदा गए थे, वहां जानकारी मिली तथा वहां कल्लू का भाई जवान सिंह आ गया था और उसने बताया था कि उसका भाई कल्लू था, जिसने ठूंठ बीनने से रोका था। उसने न्यायालय में भी अभियुक्त को पहचाना है। बाईस राव अ0सा0-03 ने भी पैरा-03 में यह बताया है कि उसे अभियुक्त कल्लू का नाम दीपक के पिता ने बताया था। इस प्रकार अभियुक्त की पहचान भी निश्चित हो जाती है।
- 14.** जहां तक कि दीपक जाटव अ0सा0-01 की साक्ष्य का प्रश्न है उसकी साक्ष्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 एवं अन्य साक्षियों की साक्ष्य से भली भांति पुष्टि हो रही है। अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से हो रही है। जहां तक कि घटना के समय के परिवर्तन का प्रश्न है, साक्षीगण ग्रामीण परिवेश के निवासी है। तब इतना समय का अंतर आना भी स्वाभाविक है। अभियुक्त के द्वारा अपने परीक्षण में ऐसा नहीं बताया है कि फरियादी की उससे क्या रंजिश थी। अभियुक्त को झूठा फंसाने पर उसकी ओर से इस संबंध में कोई कार्यवाही न किया जाना ही प्रकट है। अभियुक्त के द्वारा मौन रूप से विचारण का सामना किया गया है। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त को झूठा फंसाया जाना प्रकट नहीं हो रहा है। अपितु इस संबंध में उपरोक्त सभी साक्षियों की साक्ष्य विश्वनीय होना प्रकट होती है। जिससे कि अभियुक्त के द्वारा कुल्हाड़ी से दीपक जाटव का स्वेच्छया उपहति कारित करने के तथ्य प्रमाणित होते हैं।
- 15.** इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी कल्लू को कुल्हाड़ी से दीपक जाटव की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दोषसिद्ध ठहराकर कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः उक्त दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। उक्त दोषसिद्धि में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है।
- 16.** अपीलार्थी/बचावपक्ष की ओर से अपीलार्थी को परिवीक्षा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है। इस मामले में कल्लू के द्वारा दीपक जाटव की पीठ पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है, तीन चोटें दीपक जाटव को आई हैं। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों तथा तथ्यों को देखते हुए अपीलार्थी कल्लू को परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
- 17.** जहां तक दण्डादेश का प्रश्न है, इस संबंध में उभयपक्ष को सुना गया घटना दिनांक 19.03.12 की है, इस प्रकार घटना को छः वर्ष होने को हैं। अभियुक्त के द्वारा विचारण न्यायालय में इस प्रकरण

का सामना किया गया है तथा विचारण में सहयोग किया गया है। उभयपक्ष के मध्य खेत पर से विवाद से उत्पन्न अपराध है। फरियादी दीपक जाटव के द्वारा ही कल्लू के खेत में घुसकर टूठ काटने या टूठ बीनने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार झगड़े का कारण स्वयं फरियादी ही है, यद्यपि अपीलार्थी को इस आधार पर कुल्हाड़ी से मारपीट करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। उभयपक्ष ग्रामीण परिवेश के निवासी है, पूर्व की दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं लाई गई है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी की आयु को देखते हुए, अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप को देखते हुए तथा संपूर्ण तथ्यों को देखते हुए इतनी लंबी अवधि के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्त को कारावास के लिए भेजा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, केवल अर्थदण्ड से ही न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

**18.** अतः विचारण न्यायालय द्वारा कल्लू के धारा-324 भा0दं0सं0 के तहत छः माह के कठिन कारावास के दण्डादेश को अपास्त किया जाता है।

**19.** अभियुक्त/अपीलार्थी कल्लू के संबंध में भा0दं0सं0 की धारा-324 के तहत 300/-रुपए के स्थान पर अर्थदण्ड की राशि 1,500/-रुपए की जाती है।

**20.** अभियुक्त कल्लू की ओर से 300/-रुपए की राशि विचारण न्यायालय के समक्ष जमा कराई जा चुकी है। अभियुक्त कल्लू शेष 1,200/-रुपए की राशि जमा करावें। उपरोक्त अर्थदण्ड अदा न करने पर अपीलार्थी/अभियुक्त कल्लू को धारा-324 भा0दं0सं0 के तहत तीन माह का कठिन कारावास भुगतना होगा। अर्थदण्ड की कुल राशि 1,500/-रुपए फरियादी दीपक जाटव पुत्र श्री आत्मदास जाटव निवासी पुराना घनश्याम पुरा वार्ड क्रमांक 01 गोहद जिला भिण्ड को रिवीजन अवधि पश्चात प्रदान की जावे।

**21.** जप्तशुदा कुल्हाड़ी के संबंध में विचारण न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। रिवीजन होने पर माननीय रिवीजनल न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

**22.** अपीलार्थी के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

**23.** निर्णय की प्रति अभियुक्त को निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित ।  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड